

पत्रांक: 92 / 55 बजट (मार्ग/सेतु-अनुरक्षण)/2018-19
सेवा में,

दिनांक: 18/05/2018

मुख्य अभियन्ता स्तर-1/ स्तर-11,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में आवंटन।

संदर्भ:- (1) शासनादेश संख्या-1503/111 (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018
(2) इस कार्यालय का आवंटन पत्र संख्या 38/55 बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 17.04.2018, पत्र संख्या 65/55 बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 26.04.2018 एवं पत्र संख्या 68/55 बजट (मार्ग/सेतु अनुरक्षण)/2018-19 दिनांक 27.04.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क0सं0 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित आवंटन पत्रों (क0सं0 2) द्वारा खण्डों को मार्गों/पुलियों के वार्षिक अनुरक्षण तथा पैच मरम्मत हेतु खण्डवार कुल ₹ 42.50 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है, इसी क्रम में योजनान्तर्गत उपलब्ध अवशेष धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में खण्डों को संलग्न विवरणानुसार कुल ₹ 27.50 करोड़ (₹ सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्त:- (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों को पूर्ण किये जाने पर सुनिश्चित किया जायेगा, तथा अनुमोदित नवीनीकरण कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 30.06.2018 से पूर्व यथासम्भव पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यवार/खण्डवार अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में प्रदत्त अनुमोदित स्वीकृति से अधिक का व्यय, किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और न ही अनुमोदित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जायेंगे अन्यथा व्ययाधिक्य एवं वित्तीय दायित्वों के अधिक सृजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी माने जायेंगे।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्वोरमेंट नियमावली 2017 (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रियाओं/निर्दिष्ट मानकों, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों के सम्पादन में गुणवत्ता तथा तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न:-खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि:-निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, ओवराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।
- (4) अधीक्षण अभियन्ता, वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग
- (5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग

संलग्न:-खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

18/05/2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुमोदित नवीनीकरण कार्यों में आवंटन।

अनुदान संख्या-22, ले0शी0-305404337030124 (राजस्व) प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण

(धनराशि लाख ₹ में)

क सं.	खण्ड का नाम	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यों द्वारा जनपदवार निर्धारित लक्ष्य (लम्बाई किमी० में)					क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित लम्बाई					वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन (प्रथम किश्त)
		पी०सी०	एस०डी०बी०सी०	माइकोसर्फेसिंग/रिसाइकिंग	योग (किमी०)	कुल निर्धारित धनराशि (का० 6 के सापेक्ष)	पी०सी०	एस०डी०बी०सी०	माइकोसर्फेसिंग/रिसाइकिंग	योग (किमी०)	कुल अनुमोदित धनराशि (का० 11 के सापेक्ष)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	प्रा०ख० देहरादून						3.00	11.50	13.10	27.60	294.88	100.00
2	नि०ख० देहरादून						3.00	9.77	19.49	32.26	411.58	135.00
3	अ०ख० ऋषिकेश	30.00	23.00	62.00	115.00	1232.28	6.00	12.47	20.88	39.35	406.31	135.00
4	अ०ख० सहिया						9.00	0.00	0.00	9.00	92.25	30.00
5	अ०ख० चकराता						9.00	0.00	0.00	9.00	92.25	30.00
	योग, जनपद देहरादून	30.00	23.00	62.00	115.00	1232.28	30.00	33.74	53.47	117.21	1297.27	430.00
6	प्रा०ख० हरिद्वार						10.66	7.02	5.00	22.68	211.58	70.00
7	नि०ख० रुडकी	27.00	20.00	20.00	67.00	624.50	6.35	7.98	7.33	21.66	205.96	100.00
8	नि०ख० लक्सर						10.01	7.50	4.50	22.01	206.93	70.00
	योग: जनपद हरिद्वार	27.00	20.00	20.00	67.00	624.50	27.02	22.50	16.83	66.35	624.47	240.00
	योग, क्षेत्रा० देहरादून	57.00	43.00	82.00	182.00	1856.78	57.02	56.24	70.30	183.56	1921.74	670.00
9	प्रा०ख० उत्तरकाशी						4.00	0.00	0.00	4.00	48.00	15.00
10	प्रा०ख० भटवाड़ी						4.00	3.00	0.00	7.00	93.00	30.00
11	नि०ख० चिन्यालीसौड़	20.00	5.00	10.00	35.00	410.00	4.00	0.00	0.00	4.00	48.00	15.00
12	नि०ख० पुरोला						4.00	2.00	0.00	6.00	78.00	25.00
13	नि०ख० बडकोट						4.00	0.00	10.00	14.00	143.00	45.00
	योग: जनपद उत्तरकाशी	20.00	5.00	10.00	35.00	410.00	20.00	5.00	10.00	35.00	410.00	130.00
14	प्रा०ख० टिहरी						4.00	4.00	0.00	8.00	108.00	35.00
15	नि०ख० चम्बा						3.00	5.00	0.00	8.00	111.00	35.00
16	नि०ख० नरेन्द्रनगर						14.60	0.00	0.00	14.60	175.20	85.00
17	अ०ख० घनसाली	34.00	17.00	0.00	51.00	663.00	3.40	3.00	0.00	6.40	85.80	30.00
18	अ०ख० श्रीनगर						4.00	3.00	0.00	7.00	93.00	30.00
19	अ०ख० थत्यूड़						5.00	2.00	0.00	7.00	90.00	30.00
	योग: जनपद नई टिहरी	34.00	17.00	0.00	51.00	663.00	34.00	17.00	0.00	51.00	663.00	245.00
	योग, क्षेत्रा० नई टिहरी	54.00	22.00	10.00	86.00	1073.00	54.00	22.00	10.00	86.00	1073.00	375.00

